पत्र सं0–7 / स्थापना (व्यय)–आवंटन–10 / 2018–61(न)क /

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/ स्वा0,राँची,दिनांक–10/01/2022

विषयः स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल और औषधालय 14– अवर प्रमण्डलीय अस्पताल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के व्यय हेतु कुल ₹ 3,14,15,100/– (तीन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online आवंटन के विवरणी में अंकित अस्पतालों को व्यय हेतु आवंटित किया जाता हैः–

| क्र0 | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/ उपशीर्ष | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | मांग संख्या–20 / 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 01– शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी | 110–अस्पताल और औषधालय / 14–अवर प्रमण्डलीय अस्पताल | ₹ 3,14,15,100/– (तीन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ) |

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1681/वि0 दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड (संलग्न सारांश के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

| | | |
|---|---|---|
| 06/01/2022 | 07/1/2022 | 7.1.22 |
| (शिवजी वर्मा) | (आसिफ हसन) | (अरूण कुमार सिंह) |
| सरकार के अवर सचिव | सरकार के उप सचिव | अपर मुख्य सचिव |

कृ0पृ0उ0

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय। **बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के आदेश संख्या 1914/वि0 दिनांक 01.10.2020 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

11. क्रय संबंधी कार्य सभी नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

12. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

13. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को सिविल सर्जन समानुपातिक रूप से सभी रेफरल अस्पतालों के लिए व्यय करेंगे।

14. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

15. अनुमण्डलीय अस्पताल के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में इन ईकाइयों द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

16. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17. सभी सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ अनुमण्डलीय अस्पताल का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

18. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी सिविल सर्जन को उपलब्ध कराएंगे।

ii) सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन विपत्र तैयार कर वेतन की निकासी करेंगे।

iii) सिविल सर्जन प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

v) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

61(7)ब
10/01/2022

विश्वासभाजन

| | | |
|---|---|---|
| 06/01/2022 | 07/01/2022 | 7.1.22 |
| (शिवजी वर्मा) | (आसिफ हसन) | (अरूण कुमार सिंह) |
| सरकार के अवर सचिव | सरकार के उप सचिव | अपर मुख्य सचिव |

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक–7 / स्थापना (व्यय)–आवंटन–10 / 2018 / स्वा0,राँची,दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.22

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7 / स्थापना (व्यय)–आवंटन–10 / 2018 / स्वा0,राँची,दिनांक–

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

06/01/2022 07/01/2021 7.1.22

| | | |
|---|---|---|
| (शिवजी वर्मा) | (आसिफ हसन) | (अरुण कुमार सिंह) |
| सरकार के अवर सचिव | सरकार के उप सचिव | अपर मुख्य सचिव |

कृ0 पृ0 उ0

61(7)व
10/01/2022

## पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

| क्र0 | प्राथमिक इकाई | पूर्व में आवंटित राशि | आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | 223253000 | 30640100 | 253893100 |
| 2 | देशीय यात्रा व्यय | 0 | 10000 | 10000 |
| 3 | कार्यालय व्यय | 400000 | 220000 | 620000 |
| 4 | कार्यालय उपकरण | 0 | 100000 | 100000 |
| 5 | आपूर्ति एवं सामग्री | 620000 | 380000 | 1000000 |
| 6 | वर्दी | 175000 | 25000 | 200000 |
| 7 | मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति | 0 | 40000 | 40000 |
| | कुल | 907318500 | 31415100 | 938733600 |

## आवंटन का सारांश

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | 20S2210011101400010 1 | 30640100 |
| 2 | देशीय यात्रा व्यय | 20S221001110140002 13 | 10000 |
| 3 | कार्यालय व्यय | 20S221001110140003 15 | 220000 |
| 4 | कार्यालय उपकरण | 20S221001110140003 17 | 100000 |
| 5 | आपूर्ति एवं सामग्री | 20S221001110140003 23 | 380000 |
| 6 | वर्दी | 20S221001110140003 34 | 25000 |
| 7 | मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति | 20S221001110140004 42 | 40000 |
| | **कुल आवंटित राशि** | | **31415100** |

कुल : ₹ 3,14,15,100/– (तीन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ)।

## जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

| जिला का नाम | वेतन | कार्यालय व्यय | देशीय यात्रा व्यय | कार्यालय उपकरण | आपूर्ति एवं सामग्री | वर्दी | मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokaro | 1811000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 40000 | **1951000** |
| Chaibasa | 2300000 | 100000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | **2570000** |
| Deoghar | 400000 | 20000 | 0 | 50000 | 10000 | 12500 | 0 | **492500** |
| Garhwa | 4050300 | 100000 | 10000 | 50000 | 100000 | 2500 | 0 | **4312800** |
| Hazaribag | 4190700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | **4200700** |
| Jamshedpur | 2888100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2888100** |
| Sahebganj | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10000000** |
| Saraikela | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5000000** |
| **Grand Total** | **30640100** | **220000** | **10000** | **100000** | **380000** | **25000** | **40000** | **31415100** |

61(7)व 10/01/2022

| (शिवजी वर्मा) 06/01/2022 | (आसिफ हसन) 07/01/2022 | (अरूण कुमार सिंह) 7.1.22 |
|---|---|---|
| सरकार के अवर सचिव | सरकार के उप सचिव | अपर मुख्य सचिव |

KUBER ™ Fund Management System (FMS)

)

**वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

मॉंग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 14 - अवर-प्रमंडलीय अस्पताल

| Sl No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 20S22100111014000101<br>वेतन | 20S22100111014000213<br>देशीय यात्रा व्यय | 20S22100111014000315<br>कार्यालय व्यय | 20S22100111014000317<br>कार्यालय उपकरण | 20S22100111014000323<br>आपूर्ति एवं सामग्री | 20S22100111014000334<br>वर्दी | 20S22100111014000442<br>मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Bokaro | BKRMED001 | Dr. Jitendra Kumar | Civil.Surgon, Bokaro | ₹18,11,000.00 (67964) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,00,000.00 (67977) | ₹0.00 | ₹40,000.00 (68074) | ₹19,51,000.00 |
| 2 | Deoghar | DGRMEDD52 | Dr. Chandra Kishore Shahi | Civil Surgeon Cum Cmo Deoghar | ₹4,00,000.00 (67965) | ₹0.00 | ₹20,000.00 (67970) | ₹50,000.00 (67975) | ₹10,000.00 (67978) | ₹12,500.00 (67981) | ₹0.00 | ₹4,92,500.00 |
| 3 | Garhwa | GRHMED001 | Kamlesh Kumar | C.S.Cum C.M.O.Garhwa | ₹40,50,300.00 (67966) | ₹10,000.00 (67973) | ₹1,00,000.00 (67971) | ₹50,000.00 (67976) | ₹1,00,000.00 (67979) | ₹2,500.00 (67982) | ₹0.00 | ₹43,12,800.00 |
| 4 | Hazaribagh | HZBMED069 | Dr Saryu Prasad Singh | C S -Cum-Cmo Hzb | ₹41,90,700.00 (67967) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10,000.00 (67983) | ₹0.00 | ₹42,00,700.00 |
| 5 | Jamshedpur | JSRMED031 | Arvind Kumar Lal | Civil Surgeon, Eastsinghbhum | ₹28,88,100.00 (67968) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹28,88,100.00 |
| 6 | Sahebganj | SBJMED001 | Dr. Arvind Kumar | C.S.Cum.C.M.O.Sbg | ₹1,00,00,000.00 (67969) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,00,00,000.00 |
| 7 | Singhbhum West | SGHMED075 | Dr. Bucka Oroan | Cs Cum Cmo | ₹23,00,000.00 (69992) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,70,000.00 (69995) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹24,70,000.00 |
| 8 | Saraikela | SKLMED112 | Dr.Bijay Kumar | C.S-Cum-C.M.O.Seraikella | ₹50,00,000.00 (69993) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50,00,000.00 |
| 9 | Singhbhum West | SGHMED077 | Dr. Bucka Oroan | Acmo-2 Public Health | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,00,000.00 (69994) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,00,000.00 |

**कुल आवंटित राशि :- ₹3,14,15,100.00** ( तीन करोड चौदह लाख पंद्रह हजार एक सौ ) रूपये मात्र।

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

61(7)प
10/01/2022